

डिक्री बमुकदमें इब्तादाई

(आदेश 20 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल जिला-नागौर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत-फरड़ोद

मु0न0

वादीगण-

1. हनुमानराम पुत्र चंद्राराम जाति जाट निवासी फरड़ोद तहसील जायल जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण-

1. सीता पुत्री चन्द्राराम जाति जाट निवासी फरड़ोद तहसील जायल जिला नागौर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

वाद बाबत बंटवाडा खेताय घोषणा खेताय अन्तर्गत धारा 53 व 88

राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :-22.05.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी वादी व प्रतिवादी स्वयं की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं कि :-

1. वादी संख्या 1 हनुमानराम के हक बंट में मौजा फरड़ोद का खेत ख नं 386 रकबा 14.14 बीघा में से 14.04 बीघा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 सीतादेवी व वादी हनुमानराम के सामलाती हक बंट में मौजा फरड़ोद का खेत ख नं 386 रकबा 14.14 बीघा में से 0.10 बीघा उत्तरी दिशा में रखा जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते है।

तहसीलदार जायल को डिक्री पर्चा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु तहरीर जारी हो।

लीज x मुबलिक x बाबत x खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर x फीस सदी सालाना आज की तारीख,तारीख वसूल योगो तक x को अदा करें। बसीबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 22.05.2018 को जारी किया गया

(सुरेन्द्र प्रसाद)
राजस्थान लोक अदालत
जायल (नागौर)

(सुरेन्द्र प्रसाद)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

विवरण	रूपये	पैसे	मुदायला	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह-भावत			मेहनताना वकील	
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन	
खर्चा गवाहन			फीस कमीनर	
फीस कमीनर			बाबत इजराय हुक्मीजान	
बाबत इजराय हुक्मीजान			मुतफरिंक	
मुतफरिंक				

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये

(सुरेन्द्र प्रसाद)
राजस्थान लोक अदालत
जायल (नागौर)

(सुरेन्द्र प्रसाद)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल जिला-नागौर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत- फरड़ोद

क्रमांक-रा.लो.अदा.अभि./2018/

दिनांक-

तहसीलदार जायल को डिकरी आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि मुताबिक डिक्री आदेश के राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट आज ही पेश करे।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी, जायल
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर